[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 63/2018-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितंबर, 2018

सा. का. नि. ……. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/2015-सीमाशुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015, जिसे सा. का. नि. 269 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में पकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में,-

(i) शर्त (1) में, उप-वाक्य (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-वाक्य को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“(ख) विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 3.05 के प्रावधानों के अनुसार किए गए माल या उत्पाद के निर्यात के एवज में”;

(ii) शर्त (3) में, दूसरे परंतुक में शब्दों “चेन्नई, मुम्बई या दिल्ली के हवाई अड्डे से कूरिएर के माध्यम से या चेन्नई, मुम्बई या नई दिल्ली के विदेश डाक घर के माध्यम से” के स्थान पर “केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय कूरिएर टर्मिनलों के माध्यम से या विदेशी डाकघरों के माध्यम से” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फ़ा.सं.605/24/2018-डीबीके]

(धर्मवीर शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 24/2015-सीमाशुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को सा. का. नि. 269(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 26/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 29 जून, 2017, सा. का. नि. 727(अ), दिनांक 29 जून 2017 के द्वारा संशोधन किया गया था।